कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 1466 / 18mg दिनांकः– 9/7/21

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.710 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/46607/2020)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2199/ FP/UK/ROAD/46607/2020 दिनांक 22.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2021/एफ0सी0/2317 दिनांक 18.02.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित हैः–

1– शर्त संख्या–1, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2– शर्त संख्या–2, के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि(नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।

3– शर्त संख्या–3, **प्रतिपूरक वनीकरणः–**

(क) खण्ड द्वारा 3.42 हैक्टेयर गैर वानिकी भूमि ग्राम छीमीमटेला के खसरा नं0 1324, 1372, 1375 मध्ये में प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) रू0 11,53,169.00 (ग्यारह लाख तिरेपन्न हजार एक सौ उन्हत्तर मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 753/कैश दिनांक 31.03.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर0 टी0जी0एस0चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–01 से 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) इस बिन्दु पर कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

(ग) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम छीमीमटेला के खसरा सं0 1324, 1372, 1375 मध्ये 3.420 हैक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण /हस्तान्तरण जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक सं0 110/12–ज्येड.ए.सी./2020–21 दिनांक 09.03.2021 के आधार पर अमल दरामद खतौनी में दर्ज करा दी गयी है। (संलग्नक–3 से 8)।

(घ) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। कृपया इसमें हस्ताक्षर कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक–9)

4– शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसारा प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक–10)

5– शर्त संख्या–05 **शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि0पि0(सि0) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिरनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक

03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू0 14,44,950.00 (रू0 चौदह लाख चवालीस हजार नौ सौ पचास मात्र) की धनराशि 1.71 हैक्टयेर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन0पी0बी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक–10)

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक–11)

6– शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 205 trees and 26 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक–12)

7– शर्त संख्या–07 के अनुपालन में मलुवा निस्तारण की पूर्ण विवरण योजना का प्रस्ताव पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी है।

8– शर्त संख्या–08, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक–10)

9– शर्त संख्या–09 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करनें के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।

10– शर्त संख्या–10 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

11– शर्त संख्या–11 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

12– शर्त संख्या–12 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों /वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

13– शर्त संख्या–13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक–08)

14– शर्त संख्या–14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

15– शर्त संख्या–15 के अनुपालन में वनभूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

16– शर्त संख्या–16 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

17– शर्त संख्या–17 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।

18– शर्त संख्या–18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

19– शर्त संख्या–19 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

20– शर्त संख्या–20 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रतयावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

21– शर्त संख्या–21 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।

22– शर्त संख्या–22 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी, मान्य है।

23– शर्त संख्या–23 के अनुपालन पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पैधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीतित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी, मान्य है।

24– शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।

25– शर्त संख्या–25 के अनुपालन में यह रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर के प्रमाण पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर एक–एक हार्ड प्रति मूल में इस कार्यालय को लौटाने का कष्ट करें, ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त सख्या–25 के अनुसार अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर आन लाईन भी प्रेषित की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। चार–चार हार्ड प्रतियां कुल पृष्ठ।

भवदीय

o/c

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
8/7/2021

पत्रांकः– 1466 / 18mg दिनांकः– 9/7/21

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
8/07/2021

o/c

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

संलग्नक – 1

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 753/ कै21

दिनांकः– 31/03/2021

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषयः– बैंकर्स चैक संख्या 179310 दिनांक 30/03/2021 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विष्यक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पांगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रू0 25,98,119.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उसका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैकर्स चैंक सं0 179310 दिनांक 30/03/2021 रू0 25,98,119.00 मात्र (पच्चीस लाख अठानब्बे हजार एक सौ उन्नीस) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्नः– 1– बैंकर्स चैक संख्या 179310 दिनांक 30/03/2021 रू0 25,98,119.00 मूल में।
2– ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान – 03 प्रति में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0,नैनीताल

NEFT RTGS CHALLAN

संलग्नक-2

Pangkatara - Khalar M/R

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-03-2021

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6146607603
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/15/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	2598119/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Ninety-Eight Thousand One Hundred and Nineteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896146607603 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-03-2021

Vr 321 C
Date 21.3.2021

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6146607603
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/15/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	2598119/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Ninety-Eight Thousand One Hundred and Nineteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896146607603 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
नि0 ख0,लो0नि0वि0,नैनीताल

संलग्नक-3

क्रमांक सं0...627...
पत्रावली सं0....18 m.g....
दिनांक...10/3/2021...

आदेश

जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड, बेतालघाट के अन्तर्गत पांग कटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम छीमी मटेला की नॉन0ज्येड0ए0खतौनी की श्रेणी 9(3)ड़ अन्य बंजर भूमि के खाता संख्या–52 के खसरा नम्बर, 1324, 1372,1375 रकवा 9.075हे0 मध्ये रकवा 3.420हे0 भूमि सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी, कोश्यॉ कुटोली की आख्या दिनांक 08 मार्च, 2021 एवं उसके साथ संलग्न वन विभाग, राजस्व विभाग व कार्यदायी संस्था की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 15–11–2019 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड, बेतालघाट के अन्तर्गत पांग कटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम छीमी मटेला की नॉन0ज्येड0ए0खतौनी की श्रेणी 9(3)ड़ अन्य बंजर भूमि के खाता संख्या–52 के खसरा नम्बर, 1324, 1372,1375 रकवा 9.075हे0 मध्ये रकवा 3.420हे0 सिविल सोयम भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, कोश्यॉ कुटोली तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
नि0 खण्ड,लो0नि0वि0,नैनीताल

(ऋचा सिंह)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 110/12–ज्येड0ए0सी0/2020–21 दिनांक 09 मार्च,2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल/अल्मोड़ा
2– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।
3– उपजिलाधिकारी, कोश्यॉ कुटोली।
4– तहसीलदार, कोश्यॉ कुटोली।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
नैनीताल।

संलग्नक-4 पृष्ठ सं० (1)

उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड0ए0

ग्राम - हौंसी पटेला, परगना कुटौली, तहसील कोश्यॉं कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 14 से 1428 फसली तक

खाता सं0	खातेदार का नाम व पिता का नाम/ निवास स्थान	मौमिक अधिकार वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वालेअधिकारी का पद
1	2	3	4	5	6	07–12
श्रेणी 1(3)ड कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि					–	कार्यालय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र सं० 109/12-ज्येड० स० सी०/2020-21 दिनांक 01 मार्च 2021 के अनुसार जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ के नथुवाखान - सुयालबाड़ी मोटरमार्ग हौंसी पटेला होते हुए तोला धुमिया देव मन्दिर तक मोटर मार्ग तक के निर्माण हेतु ग्राम-हौंसी पटेला की नान० ज्येड० ए० खतौनी की श्रेणी 1(3)ड अन्य बंजर भूमि के खाता संख्या 52 के खसरा नम्बर 1323 रकबा 9.075 है० मध्ये रकबा 3.510 है० भूमि सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित/ नामान्तरित किये जाने के संबंध मे उपजिलाधिकारी कोश्यांकुटौली की आख्या दिनांक 08 मार्च 2021 एवं उसके साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 15-11-2019 वन विभाग, राजस्व विभाग व कार्यदायी संस्था के रूप मे जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड
52	अन्य बंजर भूमि वन पंचायत 21.570 है०		1	2.330		
			2	5.025		
			3	2.466		
			12	0.009		
			27	0.063		
			44	0.020		
			49	0.105		
			67	0.006		
			81	0.028		
			|	|		
			337	0.013		
			342	0.089		
			362	0.028		
			363	0.089		
			364	0.019		

नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।

क्रमशः

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र –
तहसील कोश्यॉं कुटौली

(मुहर: राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र........ तहसील........)

Scanned with CamScanner

उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड०ए०

ग्राम - हीवी पटेला परगना कुटौली , तहसील कोश्यॉं कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 14 से 14 फसली तक

खाता सं0	खातेदार का नाम व पिता का नाम/ निवास स्थान	मौमिक अधिकार वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वालेअधिकारी का पद	विवरण
						07–12	13
1	2	3	4	5	6		
	- लगातार -		365 366 367 368 369 | 937 939 956 957	0.015 0.015 0.018 0.015 0.013 | 0.018 0.063 0.009 0.023		राजमार्ग मे लधुवारवान - सुयालवाड़ी मोटरमार्ग से पटेला होते हुए तोला - भुमिया देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम - हीवी पटेला की नान० ज़ेड० ए० खतौनी की श्रेणी 9(3) ड़ अन्य बंजर भूमि के खाता संख्या -52 के खसरा नम्बर 1323 रकबा 9.075 है० मध्ये रकबा 3.510 है० भूमि सिविल सोयम भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है, उक्तानुसार ही क्षतिपूरक - वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित किये जाने का आदेश दर्ज किया, हस्ताक्षर अस्पष्ट 12/03/2021 र०का० को०कु० [illegible] 12/03/2021 रा० उ०नि० त०कु० कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं० 110/12- ज़ेड० ए० सी०/ 2020-21 दिनांक 09 मार्च 2021 के अनुसार जनपद नैनीताल मे राज्य योजना के अन्तर्गत	

नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।

क्रमशः

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र -
तहसील कोश्यॉं कुटौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक-6 पृष्ठ सं.- (3)

उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड0ए0

ग्राम - हीमी पटेला, परगना - कुटौली , तहसील कोश्याँ कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 14 से 14 फसली तक

खाता सं0	खातेदार का नाम व पिता का नाम/ निवास स्थान	भौमिक अधिकार वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वालेअधिकारी का पद
1	2	3	4	5	6	07–12
	- लगातार -		958	0.003		विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पांगकराया से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम हीमी पटेला की नान० जेड० ए० खतौनी की श्रेणी 9(3)ड़ अन्य बंजर भूमि के खाता संख्या-52 के खसरा नम्बर 1324, 1372, 1375 रकबा 9.075 है० मध्ये रकबा 3.420 है० भूमि सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी कोश्याकुटौली की आख्या दिनांक 08 मार्च 2021 एवं उसके साथ संलग्न वन विभाग, राजस्व विभाग व कार्यदायी संस्था की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 15-11-2019 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पांगकराया से खलाड़ तक मोटरमार्ग निर्माण हेतु ग्राम हीमी पटेला की नान० जेड० ए० खतौनी की श्रेणी
			959	0.004		
			960	0.010		
			961	0.005		
			962	0.006		
			|	|		
			1317	0.011		
			✓1323	9.075		
			✓1324	5.910		
			1326	0.188		
			1328	0.005		
			1332	0.011		
			1334	0.011		
			1337	0.020		
			1356	0.068		
			1359	0.016		
			1361	0.029		
			1363	0.004		
			1364	0.004		
			1367	0.013		
			✓1372	1.750		
			✓1375	4.905		
			|	|		
			1540	0.018		

नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।

क्रमशः

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र –
तहसील कोश्याँ कुटौली

क्रमांक-7 पृष्ठ सं० (4)

उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड0ए0

ग्राम - हैड़ी मरेला, परगना कुटौली , तहसील कोश्यॉ कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 14 से 14 फसली तक

खाता सं0	खातेदार का नाम व पिता का नाम/ निवास स्थान	मौमिक अधिकार वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वालेअधिकारी का पद	विवरण
1	2	3	4	5	6	07-12	13
	- लगातार -		1541 1542 1546अ 1548 | 4706 2796 4726	0·306 0·360 0·053 0·083 | 0·011 0·085		91(3)ई अन्य नम्बर भूमि के खाता संख्या 52 के खसरा नम्बर 1324, 1372, 1375 रकबा 1·075 है० सहित रकबा 3·420 है० सिविल सोयम भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है, उक्तानुसार हो क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित किये जाने का आदेश दर्ज किया, हस्ताक्षर अस्पष्ट 12/03/2021 र०का० कोश्याकुटौली हस्ताक्षर 12/03/2021 रा०उ०नि० तल्ला कुटौली	
		योग	500	122·231			

नोट :- नकल खतौनी लैण्ड रिकार्ड मैनुवल के पैरा- 26 के अनुसार मुताबिक असल के असल से मिलान कर तैयार की गयी।

नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र -
तहसील कोश्यॉ कुटौली

(मुहर: राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र .... तहसील .... कोश्यॉ) हस्ताक्षर 12/03/2021

Scanned with CamScanner

संलग्नक–8

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.710 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/46607/2020)

प्रामण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव सख्या **FP/UK/ROAD/46607/2020** योजना जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम छीमीमटेला खाता संख्या 52 के खसरा नं0 1324, 1372, 1375 मध्ये प्राप्त **3.420** है0 **सिविल** भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी **नैनीताल** के पत्रांक **110/12–ज्येड0ए0सी0/2020–21** दिनांक **09.03.2021** से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

(ह0)
वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमायूं वृत्त,
नैनीताल।

(ह0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

कार्यलय वन संरक्षक
दक्षिणी कुमायूं वृत्त,
नैनीताल।

पत्रांकः– /

दिनांकः– / /2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़ देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादूने।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

(ह0)
वन संरक्षक
दक्षिणी कुमायूं वृत्त,
नैनीताल।

संलग्नक–9

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.710 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/46607/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन मंडल अधिकारी द्वारा उक्त परियोजना के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम छीमीमटेला खसरा सं0 1324, 1372, 1375 मध्ये 3.420 हैक्टेयर सिविल भूमि के क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वनप्रभाग नैनीताल

संलग्नक - 10

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/39655/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39655/2019) Construction of approach road from Nawali from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwakhan-Pura-Qurab motor road to Losgayani in Ramgarh Block of District Nainital	ROAD396552019996	6139655996	27 Jan 2021	CA: 631208/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 614952/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1246160/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 07 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Mar 2021 Transaction Date : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21126124712124CHF3dlmondnotnawli.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996)
2	FP/UK/ROAD/42523/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42523/2019) Construction of motor road from Matiyali to Prachin Mandir Kailro through Km. 10 of Mauna-Lweshal- Kalapatal and Prathmik Pathshala in Ramgarh Block under Nainital district.	ROAD425232019828	6142523828	20 Oct 2020	CA: 606931/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 760500/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1367431/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Feb 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Mar 2021 Transaction Date : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11128123212I2EAY32dlmonadnotpracheenkailro.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425232019828)
3	FP/UK/ROAD/46607/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/46607/2020) New construction of motor road from Pangkatara to Khalar under developmental Betalghat of Vidhan Sabha constituency of Nainital district under state plan	ROAD466072020603	6146607603	18 Feb 2021	CA: 1153169/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1444950/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2598119/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Mar 2021 Transaction Date : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31181238121931I1Cdemandnot.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD466072020603)

संलग्नक–11

परियोजना का नामः— जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.710 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/46607/2020)

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

संलग्नक–12

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.710 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/46607/2020)

बचन बद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 205 trees and 26 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।